दैनिक भास्कर

पटना, शनिवार, 05 मई, 2018 | 5

अधूरे प्रोजेक्ट के फ्लैटों के निबंधन पर रेरा गंभीर, बिल्डरों पर होगी कार्रवाई

पटना| रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने कहा कि अधूरी परियोजनाओं के फ्लैटों के निबंधन की सूचना को रेरा ने गंभीरता से लिया है और आईजी रजिस्ट्रेशन से इस संबंध में जानकारी मांगी गई है। ऐसे बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खरीदारों से अनिबंधित परियोजनाओं में बुकिंग नहीं करने की अपील की। कहा, बुकिंग से पहले यह जरूर जांच लें कि प्रोजेक्ट रेरा में निबंधित है या नहीं। अमानुल्लाह ने बताया कि अभी तक मात्र 15 परियोजनाओं का निबंधन हुआ है, जबकि 40 अन्य परियोजनाओं से आवश्यक कागजात मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक 345 आवेदन आए हैं। सूबे के 38 में से 30 जिलों से एक भी आवेदन नहीं आया है। इन जिलों का जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में सुबोध कुमार सिन्हा, राजीव भूषण सिन्हा, हरिशंकर सिंह और कुमार सर्वानंद मौजूद थे।